

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ.1(2)डीओपी(ए-II)/2015

जयपुर, दिनांक : 9.10.2015

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग 1
साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2015 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सरकार या ऐसा कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें ;
- (ख) "बोर्ड" से राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ग) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;
- (घ) "समिति" से नियम 30 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति अभिप्रेत है ;
- (ङ) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

- (च) "निदेशक" से निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है ;
- (छ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;
- (ज) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित किये गये नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (झ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ञ) "सेवा" से राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) सेवा अभिप्रेत है ;
- (ट) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा निरसित नियमों या आदेशों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो ;

टिप्पण : इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के अन्तर्गत, अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी भर्ती आयेगी।

- (ठ) "सेवा" या "अनुभव" से जहाँ कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद (पदों) पर निरन्तर कार्य किया हो ;

टिप्पण : सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन 'ड्यूटी' के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी।

- (ड) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;
(ढ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2 संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.— (1) सेवा, अनुसूचियों के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रशासनिक और अध्यापन पदों से गठित होगी।

(2) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूचियों के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट है।

(3) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु सरकार —

- (क) आवश्यक पाये जाने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय-समय पर सृजित कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी ; और
(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

5. सेवा का गठन.— सेवा निम्नलिखित से गठित होगी :-

- (क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति ;
- (ख) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ; और
- (ग) नियम 34 के अधीन अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति पर भर्ती किये गये व्यक्तियों को छोड़कर इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ।

भाग 3 भर्ती

6. भर्ती की रीतियां- (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में के पदों पर भर्ती अनुसूची- I और अनुसूची- II के स्तम्भ 3 में यथा उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी, -

(क) इन नियमों के भाग 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ; और

(ख) इन नियमों के भाग 5 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का आयोग से परामर्श करके, जहां आवश्यक हो, यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष-विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो नियुक्ति विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त व्यक्ति किसी भी समय नियमों/अनुसूची में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों।

(3) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आपात के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.— (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, शैक्षिक अर्हताओं और सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग, यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है, की सहमति के अध्वधीन रहते हुए —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन बैंड पीबी-1 ग्रेड वेतन सं. 10 तक के पदों की रिक्तियाँ, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन बैंड पीबी-2 ग्रेड वेतन सं. 11 तक के पदों की रिक्तियाँ, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;
- (iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतन बैंड पीबी-1 ग्रेड वेतन सं. 10 तक के पदों की रिक्तियाँ, राज्य के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

भर सकेगा :

परन्तु -

- (i) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा।
- (ii) यदि, सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी के कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या बच्चे तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उनका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं अपने लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा-मिलिटरी बलों के लिए पैरा-मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यक्षीय विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, सिवाय चतुर्थ श्रेणी नियुक्ति के, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता शिथिल की जायेगी, तथा आयु सीमा पूरी करता है और सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन, खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन के किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन

कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी :-

- (i) सशस्त्र बल/पैरा-मिलिटरी बल के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम ;
- (ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी ;
- (iii) युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान ; और
- (iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका संबंध (प्रमाणपत्रों सहित)।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (क) "सशस्त्र बल" से संघ की सेना, नौ सेना और वायु सेना अभिप्रेत है ;
- (ख) "आश्रित" से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा-मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे ;

टिप्पण :- दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

- (ग) "पैरा-मिलिटरी बल" से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा-मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये ;
- (घ) "स्थायी" रूप से अशक्त" व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996

का अधिनियम सं. 1) में यथा उपबंधित "निःशक्त व्यक्ति" पद की परिभाषा के अधीन आता है।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.— (1)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति के समय प्रवृत्त, ऐसे आरक्षण के लिए सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता-एवं-योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा उसके कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले पदों के लिए और अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक्-पृथक् रोस्टरों के अनुसार की जायेंगी।

(5) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी :

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित

जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद को अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी को पदोन्नत करके ऐसे पद को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेंट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, वह पद रिक्त करना होगा :

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रणीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

9. पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.— पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष-विशेष में पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

10. महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.— सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विछिन्न-विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और

उपयुक्त विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, विधवाओं और विछिन्न-विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ अन्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियाँ पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप में समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :- विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

11. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण .- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सेवा के अधीन सीधी भर्ती के लिए चिह्नित, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियाँ पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण : “उत्कृष्ट खिलाड़ियों” से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :-

(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ;

या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ;

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

12. राष्ट्रीयता.— सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह —

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो ; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

13. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

14. रिक्तियों का अवधारण.— (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद नियमों या अनुसूची में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद नियमों या अनुसूची में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति, कोटे की अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

15. आयु.— सेवा में के पद (पदों) पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत तारीख के ठीक बाद आने वाली जुलाई के प्रथम दिन को राज्य सेवा के पद (पदों) के लिए 21 वर्ष की आयु और अधीनस्थ सेवा के पद (पदों) के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए।

परन्तु —

- (i) उपरोक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को —
 - (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;
 - (ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;
 - (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक, शिथिल किया जायेगा।

- (ii) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;
- (iii) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;
- (iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने सीधी भर्ती के लिए आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे ;
- (v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा;
- (vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ;
- (vii) 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी ;

(viii) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी ; और

(ix) विधवाओं और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(x) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

16. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव.- अनुसूची में प्रगणित पदों पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा :-

(i) अनुसूचियों के स्तंभ 4 में विहित अर्हताएं तथा अनुभव;

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान :

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूची में यथा-उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु,-

(i) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;

(ii) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ; और

(iii) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने

से पूर्व, समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

17. चरित्र- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण : (1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्पूर्व सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे 'पश्चात्पूर्व देखरेख गृह' के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्पूर्व देखरेख गृह के अधीक्षक का, या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्पूर्व देखरेख गृह में अपने

पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

18. शारीरिक उपयुक्तता.— सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति की नियमित पंक्ति में पदोन्नत अभ्यर्थी के मामले में या जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

19. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.— कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने का दोषी है या आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दण्डित कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त :-

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

20. संयाचना.— नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन

प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

भाग 4 सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

21. प्रतियोगी परीक्षा, परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी, पाठ्य विवरण और परीक्षा की आवृत्ति — (1) पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड- III, अध्यापक (संस्कृत), अध्यापक (सामान्य), शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड- III, कला अध्यापक- ग्रेड- II, शिल्प अध्यापक- ग्रेड- II और प्रयोगशाला सहायक को छोड़कर, सेवा में सम्मिलित पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड- III, अध्यापक (संस्कृत), अध्यापक (सामान्य), शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड- III, कला अध्यापक- ग्रेड- II, शिल्प अध्यापक- ग्रेड- II और प्रयोगशाला सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(3) प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय/वरिष्ठ उप निरीक्षक, प्राध्यापक (विद्यालय), वरिष्ठ अध्यापक और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक- ग्रेड- II के पदों के लिए परीक्षा हेतु प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जायेगा और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(4) अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी जब तक कि सरकार यह विनिश्चय नहीं कर ले कि इनमें से किसी पद के लिए किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं की जायेगी।

22. आवेदन आमंत्रित करना.— सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद का वेतन बैण्ड और ग्रेड

वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

23. आवेदन का प्ररूप.— आवेदन आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा और वह आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।

24. आवेदन फीस.— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी को उसके द्वारा नियत फीस का, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदाय करेगा।

25. आवेदन संवीक्षा.— आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वह वांछनीय समझे, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

26. आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें.— आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा :

परन्तु आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा और अध्यक्ष किये जाने पर, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसको मूल सूची आयोग द्वारा सरकार को अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर-भीतर सरकार को की जा सकेगी।

27. **बोर्ड द्वारा भर्ती.**— इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सेवा में सम्मिलित किसी पद पर भर्ती, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड, नियम 2014 के अधीन बोर्ड को समनुदेशित की जाये, तो बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा और अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

28. **नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.**— (1) कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया था।

स्पष्टीकरण :— इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु,—

(i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है :

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा :

(iii) इस उप-नियम के उपबंध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे :

(iv) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

29. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.— नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 8,9,10 और 11 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए नियम 26 के अधीन तैयार की गयी सूची में के योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 5 पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

30. विभागीय पदोन्नति समिति का गठन.— समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :

(i) राज्य सेवा में आने वाले पद (पदों) के लिए :

1	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्देशित उसका कोई सदस्य	अध्यक्ष
2	संस्कृत शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	सदस्य
3	कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो।	सदस्य
4	निदेशक, संस्कृत शिक्षा	सदस्य-सचिव

(ii) अधीनस्थ सेवा में आने वाले पद (पदों) के लिए:

(क) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले पद (पदों) के लिए :

1	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्देशित उसका कोई सदस्य	अध्यक्ष
2	संस्कृत शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हो।	सदस्य
3	कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव से नीचे की रैंक का न हों।	सदस्य
4	निदेशक, संस्कृत शिक्षा	सदस्य-सचिव

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले पद (पदों) के लिए :

1	निदेशक, संस्कृत शिक्षा	अध्यक्ष
2	संस्कृत शिक्षा विभाग का संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव	सदस्य
3	कार्मिक विभाग का संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा	सदस्य-सचिव

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो तत्समय उस पद का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य सचिव होगा।

31. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.- (1) ज्योंहि नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के रिक्तियों के अवधारण से संबंधित नियम के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं त्योंही वह उप-नियम (6) के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) सुसंगत अनुसूची के, पद जिससे पदोन्नति की जानी है से संबंधित, सुसंगत स्तंभ में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और, यथास्थिति, अनुभव से संबंधित सुसंगत स्तंभ में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव

रखने के अध्यक्षीन रहते हुए स्तम्भ 3 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

स्पष्टीकरण : यदि किसी वर्ष-विशेष में किसी पद पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, पांच भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु –

- (i) दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरहित नहीं समझे जायेंगे जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।
- (ii) जहां किसी व्यक्ति के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर किया जायेगा :

परन्तु राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर की जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष-विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो उच्चतम पद (पदों) पर वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) (i) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या-सीमा निम्नलिखित होगी:-

रिक्तियों की संख्या

विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या

(क) एक रिक्ति के लिए

पांच पात्र व्यक्ति

(ख) दो रिक्तियों के लिए

आठ पात्र व्यक्ति

(ग) तीन रिक्तियों के लिए

दस पात्र व्यक्ति

(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए

रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या-सीमा रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या-सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों के बारे में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति भी विचार किया जायेगा।

(iv) सेवा में के किसी पद के लिए,-

(क) यदि पदोन्नति समान वेतन बैंड और/या ग्रेड वेतन में एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से हो तो पदोन्नति के लिए समान वेतन बैंड और/या ग्रेड वेतन में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा, और

(ख) यदि पदोन्नति भिन्न-भिन्न वेतन बैंड और/या ग्रेड वेतन वाले एक से अधिक पद-प्रवर्गों से होनी हो तो पदोन्नति के लिए पहले उच्चतर वेतन बैंड और/या

ग्रेड वेतन में के पात्र व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा और यदि उच्चतर वेतन बैंड और/या ग्रेड वेतन में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो केवल तब ही निम्नतर वेतन बैंड और/या ग्रेड वेतन में के अन्य पद-प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा और यह कम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की संख्या-सीमा कुल मिलाकर पाँच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र विहित है।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पदों के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिससे चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर भी सूची तैयार करेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पदों के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया जाये, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को ऐसी समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्पूर्वी वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए समिति की बैठक की जाये प्रवृत्त रहेगी।

(10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हों, के

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

स्पष्टीकरण : योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की जाये, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निर्धारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता, किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या, नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और (जहां आयोग सहबद्ध हो) आयोग की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जाये जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

32. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.— यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा

ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित विभाग/कार्यालय, उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्पूर्वी दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्पूर्वी दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता-एवं-पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग 6

नियुक्ति, परीक्षा और स्थायीकरण

33. सेवा में नियुक्ति.— सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 26 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 31 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

34. अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति .— (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, सरकार या, यथास्थिति, नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी :

परन्तु यह और कि सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति

अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उपर्युक्त उप-नियम के अधीन यथा-अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यक्षीन होंगी।

35. वरिष्ठता.— सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु —

- (i) किसी प्रवर्ग-विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियम 269 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं।
- (ii) किसी ग्रुप विशेष में पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 31 के उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं।
- (iii) एक ही वर्ष में एक ही ग्रुप में विभिन्न पदों से पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उस पद पर जिससे पदोन्नति की गयी है, अधिष्ठायी नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी।

- (iv) यदि स्टाफ के दो या अधिक प्रवर्ग पदोन्नति के लिए पात्र हैं तो पात्र अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की गयी है, नियमित नियुक्ति की तारीख के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (v) ऐसे चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यक्षीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये जाते हैं ;
- (vi) एक ही चयन में वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनके ठीक नीचे की ग्रेड में है ;
- (vii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता होने तक जारी रहेगा।

एक बार रोस्टर बिन्दुओं के पूर्ण होने पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां जब कभी भी हों, पदोन्नति में इसके पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का प्रयोग किया जायेगा।

यदि इन उपबंधों के लागू होने पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें पूर्व में पदोन्नत किया गया था और जो पर्याप्तता के स्तर से अधिक पाये जायें, प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा और वे तदर्थ आधार पर बने रहेंगे, और किसी ऐसे कर्मचारी को भी जिसे अधिसूचना सं. एफ. 7 (1)डीओपी/ए-11/96 दिनांक 01.04.1997 के अनुसरण में पदोन्नत किया गया था, प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा।

अधिसूचना सं. एफ. 7(1)डीओपी/ए- 11/96 दिनांक 01.04.1997 को दिनांक 1.4.1997 से निरसित की गयी समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण: "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" से रोस्टर बिन्दू के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

38. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.— यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किराी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

39. स्थायीकरण.— परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :-

- (क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो जैसा कि सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ;
- (ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग 7 वेतन

40. वेतनमान.— सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का मासिक वेतनमान वह होगा जो नियम 42 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाये।

36. **परिवीक्षा की कालावधि.**— (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा :

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

37. **कतिपय मामलों में स्थायीकरण.**— (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा, यदि —

- (i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता ;
- (ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता हो ; और
- (iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो,

बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी, फिर भी उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण : (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है -

- (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति ;
- (ख) उन पदों पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो तो आयोग के परामर्श से भर्ती;
- (ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों ;
- (घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे :

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्याधीन हो।

- (ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस

41. परिवीक्षा के दौरान वेतन.— सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये :

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान चालू वेतन बैण्ड में उसके स्वयं के ग्रेड वेतन में उसकी परिलब्धियां या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

42. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.— इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य का वेतन, भत्ते, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :-

- (i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय-समय पर यथा-संशोधित ; और
- (ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

43. शंकाओं का निराकरण .- यदि इन नियमों के लागू होने और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

44. निरसन और व्यावृत्ति .- राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977, राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 और इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी किये गये आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

45. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.- अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्तियों की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबन्धों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी, परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबन्धों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु, इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।

अनुसूची-I - राज्य सेवा

क. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव	पद (पदों) जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	संयुक्त निदेशक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	उप निदेशक	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव	-
2.	उप निदेशक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक/प्रधानाचार्य, संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव	-
3.	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक/प्रधानाचार्य, संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव। प्रधानाचार्य, संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय के पद के लिए अतिरिक्त अर्हता : राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षाचार्य या एम.एड. डिग्री।	-
संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी का केवल एक ही संवर्ग होगा जिसमें प्रधानाचार्य, संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय और सहायक निदेशक के पद सम्मिलित होंगे; प्रधानाचार्य, संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय और सहायक निदेशक के पद इस संवर्ग में से भरे जायेंगे।						
4.	प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसमें से 20 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय/वरिष्ठ उप निरीक्षक से और 80 प्रतिशत संस्कृत विषयों में प्राध्यापक/उप निरीक्षक से।	-	(1) प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय/वरिष्ठ उप निरीक्षक। (2) संस्कृत विषयों में प्राध्यापक/उप निरीक्षक।	शास्त्री या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा और शिक्षा शास्त्री/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री और आचार्य डिग्री में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी साथ में : (i) प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय/वरिष्ठ उप निरीक्षक के पद पर 7 वर्ष का अनुभव	-

					या (ii) संस्कृत विषयों में प्राध्यापक/उप निरीक्षक के पद पर 7 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	
5.	प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय/ वरिष्ठ उप निरीक्षक।	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	(क) शास्त्री या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी और शिक्षा शास्त्री/ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा (ख) वरिष्ठ अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत)	(क) शास्त्री या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी और शिक्षा शास्त्री/ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा (ख) वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	-
प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय का केवल एक ही संवर्ग होगा जिसमें वरिष्ठ उप निरीक्षक का पद सम्मिलित होगा ; वरिष्ठ उप निरीक्षक का पद इस संवर्ग में से भरा जायेगा।						
6.	प्राध्यापक (विद्यालय)/ उप निरीक्षक	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	(क) संस्कृत विषय के लिए : शास्त्री या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा और संबंधित विषय में आचार्य डिग्री या संस्कृत माध्यम से समतुल्य परीक्षा में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी साथ में शिक्षा शास्त्री डिग्री या समतुल्य।	वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत)	शास्त्री या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा और संबंधित विषय में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी आचार्य डिग्री साथ में शिक्षा शास्त्री/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री, साथ ही स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पदों पर 5 वर्ष का अनुभव।	-

			(ख) संस्कृत विषय से भिन्न के लिए : संबंधित विषय में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री साथ में शिक्षा शास्त्री/ बी.एड. डिग्री।	वरिष्ठ अध्यापक	न्यूनतम 48 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री साथ में शिक्षा शास्त्री/ बी.एड. डिग्री, साथ ही स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पदों पर 5 वर्ष का अनुभव।	
--	--	--	---	----------------	---	--

प्राध्यापक (विद्यालय) का केवल एक ही संवर्ग होगा जिसमें उप निरीक्षक का पद सम्मिलित होगा ; उप निरीक्षक का पद इस संवर्ग में से भरा जायेगा।

किसी वर्ष के लिए प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्राध्यापक (विद्यालय) के पद से पूर्व आयोजित करायी जानी चाहिए प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय के पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हेतु विभाग, विचार की संख्या-सीमा में आने वाले वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) से यह पूछते हुए विकल्प लेगा कि क्या वे प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय के पद पर पदोन्नति के लिए विचार में लिए जाने के इच्छुक हैं या प्राध्यापक (विद्यालय) के पदों के लिए विचार में लिए जाने के इच्छुक हैं।

अनुसूची-II - अधीनस्थ सेवा

क. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव	पद (पदों) जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	वरिष्ठ अध्यापक 1. संस्कृत 2. हिन्दी 3. अंग्रेजी 4. गणित 5. विज्ञान 6. सामाजिक विज्ञान	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	(क) स्तंभ सं. 2 में कम सं. 1 पर के पद के लिए शास्त्री या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा, और शिक्षा शास्त्री/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। (ख) स्तंभ सं. 2 में कम सं. 2 से 4 पर के पदों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। (ग) स्तंभ सं. 2 में कम सं. 5 पर के पदों के लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म-जीव विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और	अध्यापक (संस्कृत) 1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक 1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक	स्तंभ सं. 4 में यथा अधिकथित अर्हताएं साथ में स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। स्तंभ सं. 4 में यथा अधिकथित अर्हताएं साथ में स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। स्तंभ सं. 4 में यथा अधिकथित अर्हताएं साथ में स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	-

			<p>जैव-रसायन तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।</p> <p>(घ) स्तंभ सं. 2 में कम सं. 6 पर के पदों के लिए</p> <p>वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।</p>	<p>1. अध्यापक</p> <p>2. प्रयोगशाला सहायक</p>	<p>स्तंभ सं. 4 में यथा अधिकथित अर्हताएं साथ में स्तंभ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।</p>	
2.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक- ग्रेड II	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.)	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक- ग्रेड III	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) और स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) और स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव।	-
3	पुस्तकालयाध्यक्ष- ग्रेड II	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति	स्नातक साथ में किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/	पुस्तकालयाध्यक्ष- ग्रेड III	स्नातक साथ में किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री/ डिप्लोमा और स्तंभ सं. 5 में	-

		द्वारा।	डिप्लोमा।		उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।
4.	कला अध्यापक- ग्रेड II	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	वैकल्पिक विषयों में से एक विषय के रूप में ड्रॉइंग के साथ कला में स्नातक या ड्रॉइंग में डिप्लोमा या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य परीक्षा।	-	-
5.	शिल्प अध्यापक- ग्रेड II	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	शिल्प में डिग्री/डिप्लोमा के साथ कला या विज्ञान में स्नातक अथवा समतुल्य तकनीकी डिग्री या काफ़्ट प्रशिक्षण में प्रमाणपत्र के साथ मैट्रीकुलेशन साथ में शिल्प का 5 वर्ष अध्यापन अनुभव।	-	-
6. (क)	अध्यापक (संस्कृत) स्तर - 1 (कक्षा I से V तक)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	वरिष्ठ उपाध्याय या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा यथा विहित पात्रता मानक।	-	-
	स्तर - 2 (कक्षा VI से VIII तक)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	वरिष्ठ उपाध्याय या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा और निःशुल्क		

			और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा यथा विहित पात्रता मानक।			
6.	अध्यापक (सामान्य) स्तर - 1 (कक्षा I से V तक)		निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा यथा विहित पात्रता मानक।			
	स्तर - 2 (कक्षा VI से VIII तक)		निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा यथा विहित पात्रता मानक।			
7.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक- ग्रेड III	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी. पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा			

			डिप्लोमा (डी.पी.एड.)।			
8.	पुस्तकालयाध्यक्ष- ग्रेड III	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पुस्तकालय विज्ञान स्नातक (बी.लिब.) या पुस्तकालय विज्ञान प्रमाणपत्र (सी.लिब.)।	-	-	
9.	प्रयोगशाला सहायक	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान के साथ सीनियर सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी/वरिष्ठ उपाध्याय।	-	-	

अनुसूची-III

प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय/वरिष्ठ उप निरीक्षक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

1. प्रतियोगी परीक्षा 600 अंक की होगी।
2. दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 300 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 3 घण्टे होगी।
3. दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।
4. उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंक का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

5. दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय और उन्हें दिये गये अंक नीचे दी गयी सारणियों में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र- I सामान्य अध्ययन

समयावधि : 3 घण्टे

क. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1.	राजस्थान की संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान, भारत और विश्व का इतिहास	40	80
2.	राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र	40	80
3.	अध्यापन में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग	15	30
4.	राजस्थान, भारत, विश्व का भूगोल	30	60
5.	सामान्य विज्ञान	25	50
	कुल	150	300

प्रश्नपत्र- II शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी
समयावधि : 3 घण्टे

क. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1.	बौद्धिक योग्यता परीक्षण	24	48
2.	सांख्यिकी (प्रवेशिका स्तर), गणित (प्रवेशिका स्तर)	24	48
3.	शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य	30	60
4.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम	24	48
5.	समसामयिक विषय	24	48
6.	भाषा योग्यता परीक्षण : अंग्रेजी, हिन्दी	24	48
	कुल	150	300

अनुसूची- IV

प्राध्यापक (विद्यालय) के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

1. प्रतियोगी परीक्षा 450 अंक की होगी।
2. दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र- I 150 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र- II 300 अंकों का होगा। प्रश्नपत्र- I की समयावधि डेढ़ घण्टा और प्रश्नपत्र- II की समयावधि 3 घण्टा होगी।
3. दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।
4. उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंक का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।
स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।
5. दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय और उन्हें दिये गये अंक नीचे दी गयी सारणियों में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र- I सामान्य जानकारी और सामान्य अध्ययन समयावधि : 1 घण्टा और तीस मिनट

क. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1.	राजस्थान का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल के साथ भारतीय इतिहास।	15	30
2.	बौद्धिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर), भाषा योग्यता परीक्षण : हिन्दी, अंग्रेजी	20	40
3.	समसामयिक विषय	10	20
4.	सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल	15	30
5.	शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	15	30
	कुल	75	150

प्रश्नपत्र- II संबंधित विषय

समयावधि : तीन घण्टे

(क) संस्कृत विषयों के प्राध्यापक (विद्यालय) के पद के लिए परीक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा होगा।

क. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1.	संबंधित विषय का ज्ञान : वरिष्ठ उपाध्याय के स्तर का	55	110
2.	संबंधित विषय का ज्ञान : शास्त्री स्तर	55	110
3.	संबंधित विषय का ज्ञान : आचार्य स्तर	10	20
4.	शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र, अध्यापन विद्या सामग्री, अध्यापन विद्या में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।	30	60
	कुल	150	300

(ख) संस्कृत विषयों से भिन्न प्राध्यापक (विद्यालय) के पद के लिए।

क. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक
1.	संबंधित विषय का ज्ञान : सीनियर सैकण्डरी स्तर	55	110
2.	संबंधित विषय का ज्ञान : स्नातक स्तर	55	110
3.	संबंधित विषय का ज्ञान : स्नातकोत्तर स्तर	10	20
4.	शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र, अध्यापन विद्या सामग्री, अध्यापन विद्या में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।	30	60
	कुल	150	300

अनुसूची— V

वरिष्ठ अध्यापक और कला/शिल्प अध्यापक— ग्रेड II, पुस्तकालयाध्यक्ष— ग्रेड II एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक— ग्रेड II के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

प्रश्नपत्र—I

वरिष्ठ अध्यापक और कला/शिल्प अध्यापक— ग्रेड II, पुस्तकालयाध्यक्ष— ग्रेड II एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक— ग्रेड II के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु :

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।
3. प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:—

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।	80 अंक
(ii) राजस्थान के समसामयिक विषय।	20 अंक
(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।	60 अंक
(iv) शैक्षिक मनोविज्ञान।	40 अंक
कुल	200 अंक

5. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र—II

(क) वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद के लिए :

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी।
3. प्रश्नपत्र में 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:—

(i) सुसंगत विषय—वस्तु के बारे में प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय स्तर का ज्ञान।	180 अंक
(ii) सुसंगत विषय—वस्तु के बारे में शास्त्री स्तर का ज्ञान।	80 अंक
(iii) सुसंगत विषय की अध्यापन रीतियां।	40 अंक
कुल	300 अंक

5. परीक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा होगा।
6. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(ख) वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत से भिन्न) और कला/शिल्प अध्यापक— ग्रेड II के पद के लिए

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी।
3. प्रश्नपत्र में 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:—

(i) सुसंगत विषय—वस्तु के बारे में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।	180 अंक
(ii) सुसंगत विषय—वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान।	80 अंक
(iii) सुसंगत विषय की अध्यापन रीतियां।	40 अंक

कुल 300 अंक

5. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष— ग्रेड II के पद के लिए

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी।
3. प्रश्नपत्र में 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:—

(i) पुस्तकालय, सूचना और समाज का ज्ञान।	150 अंक
(ii) पुस्तकालय और सूचना केन्द्र प्रबन्धन का ज्ञान।	100 अंक
(iii) पुस्तकालयों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन।	50 अंक

कुल 300 अंक

5. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(घ) शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-II के पद के लिए

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 260 अंकों का होगा और क्रीड़ाओं/टूर्नामेण्टों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे उल्लिखित "टिप्पण" के अनुसार)।

2. प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे होगी।
3. प्रश्नपत्र में 130 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:-

(i) सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान।	60 अंक
(ii) क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक विषय।	40 अंक
(iii) शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त, परिभाषाएं और इतिहास	20 अंक
(iv) शिक्षा और खेल मनोविज्ञान	20 अंक
(v) शारीरिक शिक्षा की रीतियां, पर्यवेक्षण और आयोजन	20 अंक
(vi) प्रशिक्षण और विनिश्चय के सिद्धान्त	20 अंक
(vii) शारीरिक रचना का मूल विज्ञान, कृत्य और स्वास्थ्य शिक्षा	40 अंक
(viii) आमोद-प्रमोद, कैम्प और योग।	40 अंक

कुल 260 अंक

5. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

टिप्पण I : क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगे :-

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता।	40 अंक
2. राष्ट्रीय स्तर पर II स्थान।	36 अंक
3. राष्ट्रीय स्तर पर III स्थान।	32 अंक
4. राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर विजेता।	28 अंक
5. राज्य स्तर पर II स्थान।	24 अंक
6. राज्य स्तर पर III स्थान।	20 अंक
7. राज्य स्तर पर भाग लेना या जिला स्तर पर विजेता।	16 अंक
8. जिला स्तर पर II स्थान।	12 अंक
9. जिला स्तर पर III स्थान।	08 अंक
10. जिला स्तर पर भाग लेना।	04 अंक

टिप्पण II : स्तर निम्नानुसार होंगे :-

1. **जिला स्तर** :- निम्नलिखित टूर्नामेण्ट जिला स्तर के माने जायेंगे :

(क) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।

(ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।

- (ग) संस्कृत शिक्षा विभाग के संभागीय स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (घ) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्लस्टर स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ङ) विश्वविद्यालयों का अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेण्ट।

2. राज्य स्तर .- निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राज्य स्तर के माने जायेंगे :

- (क) संस्कृत शिक्षा विभाग का राज्य स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ख) प्रारंभिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ग) माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (घ) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ङ) जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

3. राष्ट्रीय स्तर .- निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राष्ट्रीय स्तर के माने जायेंगे :

- (क) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेण्ट।
- (ख) राष्ट्रीय या इन्टर जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर .- इनमें से किसी भी एक संगठन के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेना :

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया।

टिप्पण III : क्रीड़ा प्रमाणपत्रों का सत्यापन

(क) क्रीड़ा प्रमाणपत्रों पर तभी विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्थान के प्रधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हों कि भाग लेने वाला, संस्था का नियमित छात्र है।

(ख) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेने के या उसमें अर्जित स्थान के क्रीड़ा प्रमाणपत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब उसे संबंधित फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा सत्यापित किया गया हो।

अनुसूची- VI

अध्यापक (संस्कृत और सामान्य), पुस्तकालयाध्यक्ष- ग्रेड III, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक- ग्रेड III और प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

प्रश्नपत्र-I

(क) अध्यापक- ग्रेड III (संस्कृत) स्तर - I और स्तर - II के पदों के लिए स्कीम और पाठ्य विवरण

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।
3. लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:-

(i) राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय 50 अंक

(ii) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 50 अंक

(iii) शैक्षिक मनोविज्ञान 07 अंक

(iv) विद्यालय विषय : संस्कृत

संज्ञा प्रकरण 04 अंक

संधि ज्ञान 07 अंक

कारक ज्ञान 07 अंक

समास 07 अंक

प्रत्यय 07 अंक

उपसर्ग 03 अंक

अव्यय 03 अंक

छन्द 04 अंक

अलंकार 03 अंक

कोश 05 अंक

धातु रूप ज्ञान 05 अंक

शब्द रूप ज्ञान 05 अंक

(v) संस्कृत भाषा दक्षता 20 अंक

टिप्पण : विद्यालय विषय की अन्तर्वस्तुओं का स्तरमान, स्तर - I के लिए प्रवेशिका स्तर का होगा और स्तर - II के लिए वरिष्ठ उपाध्याय स्तर का होगा।

(vi) शैक्षिक रीति विज्ञान :

संस्कृत

13 अंक

कुल 200 अंक

5. खण्ड- 4(i), 4(ii) और 4(iii) में उल्लिखित विषयों के लिए परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी भाषा होगा। खण्ड- 4(iv) और 4(v) में उल्लिखित विषयों के लिए परीक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा होगा।

6. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(ख) अध्यापक— ग्रेड III (सामान्य) स्तर – I और स्तर— II के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

1. प्रतियोगी परीक्षा 200 अंकों की होगी।
2. परीक्षा की समयावधि 2 घंटे होगी।
3. लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:—

(i) राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय। 60 अंक

(ii) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। 60 अंक

(iii) शैक्षिक मनोविज्ञान। 07 अंक

(iv) विद्यालय विषय :

(क) हिन्दी 07 अंक

(ख) अंग्रेजी 07 अंक

(ग) गणित 07 अंक

(घ) सामान्य विज्ञान 07 अंक

(ङ) सामाजिक अध्ययन 07 अंक

टिप्पण : विद्यालय विषयों की अन्तर्वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा।

(v) शैक्षिक रीति—विज्ञान :

(क) हिन्दी 07 अंक

(ख) अंग्रेजी 07 अंक

(ग) गणित 08 अंक

(घ) सामान्य विज्ञान 08 अंक

(ङ) सामाजिक अध्ययन 08 अंक

कुल 200 अंक

5. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(ग) पुस्कालयाध्यक्ष— ग्रेड III के पद के लिए

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा।
2. प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी।
3. प्रश्नपत्र में 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:-

(i) राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय	80 अंक
(ii) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान	50 अंक
(iii) शैक्षिक मनोविज्ञान	20 अंक
(iv) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का ज्ञान	150 अंक
कुल 300 अंक	

5. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(घ) शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक- ग्रेड III के पद के लिए

1. प्रश्नपत्र अधिकतम 260 अंकों का होगा और क्रीडाओं/टूर्नामेण्टो में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे उल्लिखित "टिप्पण" के अनुसार)।
2. प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे होगी।
3. प्रश्नपत्र में 130 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:-

(i) सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान।	60 अंक
(ii) क्रीडा और शारीरिक शिक्षा तथा समसामयिक विषय का सामान्य ज्ञान।	40 अंक
(iii) शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त, परिभाषाएं और इतिहास	20 अंक
(iv) शिक्षा और खेल मनोविज्ञान	20 अंक
(v) शारीरिक शिक्षा की रीतियां, पर्यवेक्षण और आयोजन	20 अंक
(vi) प्रशिक्षण और विनिश्चय के सिद्धान्त	20 अंक
(vii) शारीरिक रचना का मूल विज्ञान, कृत्य और स्वास्थ्य शिक्षा	40 अंक
(viii) आमोद-प्रमोद, कैम्प और योग।	40 अंक
कुल 260 अंक	

5. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

टिप्पण I : क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगे .-

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता।	40 अंक
2. राष्ट्रीय स्तर पर II स्थान।	36 अंक
3. राष्ट्रीय स्तर पर III स्थान।	32 अंक
4. राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर विजेता।	28 अंक
5. राज्य स्तर पर II स्थान।	24 अंक
6. राज्य स्तर पर III स्थान।	20 अंक
7. राज्य स्तर पर भाग लेना या जिला स्तर पर विजेता।	16 अंक
8. जिला स्तर पर II स्थान।	12 अंक
9. जिला स्तर पर III स्थान।	08 अंक
10. जिला स्तर पर भाग लेना।	04 अंक

टिप्पण II : स्तर निम्नानुसार होंगे .-

1. **जिला स्तर .-** निम्नलिखित टूर्नामेण्ट जिला स्तर के माने जायेंगे .-

- (क) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ग) संस्कृत शिक्षा विभाग के संभागीय स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (घ) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्लस्टर स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ङ) विश्वविद्यालयों का अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेण्ट।

2. **राज्य स्तर .-** निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राज्य स्तर के माने जायेंगे .-

- (क) संस्कृत शिक्षा विभाग का राज्य स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ख) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ग) माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (घ) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- (ङ) जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

3. **राष्ट्रीय स्तर .-** निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राष्ट्रीय स्तर के माने जायेंगे .-

- (क) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेण्ट।
- (ख) राष्ट्रीय या इन्टर जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

4. **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** .- इनमें से किसी भी एक संगठन के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेना :
स्कूल गोम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया।

टिप्पण III : क्रीड़ा प्रमाणपत्रों का सत्यापन .-

(क) क्रीड़ा प्रमाणपत्रों पर तभी विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्थान के प्रधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हों कि भाग लेने वाला संस्था का नियमित छात्र है।

(ख) स्कूल गोम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेने के या उसमें अर्जित स्थान के क्रीड़ा प्रमाणपत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब उसे संबंधित फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा सत्यापित किया गया हो।

(ड) प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण :-

1. प्रतियोगी परीक्षा 200 अंकों की होगी।
2. परीक्षा की समयावधि 2 घंटे होगी।
3. लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
4. प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जिनके अंक उनके सामने दर्शितानुसार होंगे:-

(i) राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय	60 अंक
(ii) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान	60 अंक
(iii) शैक्षिक मनोविज्ञान	10 अंक
(iv) विद्यालय विषय (सामान्य विज्ञान)	40 अंक

टिप्पण : विद्यालय विषयों की अन्तर्वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा।

(v) शैक्षिक रीति विज्ञान (विज्ञान)	30 अंक
	कुल 200 अंक

5. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का विस्तृत पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(ओ.पी. गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

www.rajteachers.com